प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1487/2022

1. श्रीमती. पुष्पादेवी पति स्वर्गीय रामसूरत, की पत्नी, लगभग 51 वर्ष;

2. लालचंद पिता स्वर्गीय रामसुरत, 31 वर्ष;

3. अनिल कुमार पिता स्वर्गीय रामसुरत,30 वर्ष;

4. श्रीमती. रजनी पति स्वर्गीय हुकुमचंद, 32 वर्ष;

5. लकी पिता स्वर्गीय हुकुमचंद, 13 वर्ष ,अवयस्क, माता श्रीमती रजनी/अपीलार्थी सं. 4 के द्वारा ; समस्त राजवार जाति के हैं तथा गाँव बत्रा, पुलिस थाना विश्रामपुर, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

--- अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. धर्मपाल सिंह पिता सुफल सिंह, 28 वर्ष, जाति गोंड, व्यवसाय कृषि तथा चालक, निवासी गाँव बारपारा, भटगांव, डाक तथा पुलिस थाना, भटगांव, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ (आक्षेपित वाहन का चालक)।

2. आजाद सिंह पिता शिवप्रसाद, 40 वर्ष, व्यवसाय वाहन के मालिक, निवासी:मकान संख्या 101 बत्रा, पोस्ट बत्रा, पुलिस थाना विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ (आक्षेपित वाहन का मालिक)।

3. रिलायंस जनरल कंपनी लिमिटेड अपनी नीति सेवा शाखा के द्वारा , दुकान संख्या 516, पांचवीं मंजिल, राष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क, वाणिज्यिक परिसर जी. ई. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़ (आक्षेपित वाहन का बीमाकर्ता)

---- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :- श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 और 2 हेतु :- श्री एस. ए. अंसारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 3 हेतु :- श्री सौरभ शर्मा और श्री सौरभ गुप्ता, अधिवक्ता।

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1173/2022

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपने विधिक अधिकारी के द्वारा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , वर्तमान पता–301–302, कॉर्पोरेट हाउस, 169 आरएनटी मार्ग, झाबुआ टॉवर के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश।(बीमाकर्ता)।

--- अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती. पुष्पादेवी पति स्वर्गीय रामसूरत,लगभग 51 वर्ष ; (दावाकर्ता)

2. लालचंद पिता स्वर्गीय रामसुरत, 31 वर्ष ; (दावाकर्ता)

3. अनिल कुमार पिता रामसुरत, 30 वर्ष; (दावाकर्ता)

4. श्रीमती. रजनी पति स्वर्गीय हुकुमचंद,32 वर्ष ; (दावाकर्ता)

5. लकी पिता स्वर्गीय हुकुमचंद, 13 वर्ष , नाबालिग, माता श्रीमती रजनी/उत्तरवादी संख्या 4 के द्वारा प्रतिनिधित्व ; (दावेदार)

समस्त राजवार जाति के है तथा ग्राम बत्रा, पुलिस थाना विश्रामपुर, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

6. धर्मपाल सिंह पिता सुफल सिंह, 28 वर्ष, जाति गोंड, व्यवसाय कृषक तथा चालक,निवासी ग्राम बारपारा, भटगांव, डाक तथा पुलिस थाना, भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।(चालक)

7. आजाद सिंह पिता शिवप्रसाद, 40 वर्ष, व्यवसाय वाहन मालिक, निवासी आवास संख्या 101, बत्रा, पोस्ट बत्रा, पुलिस थाना विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।(मालिक)।

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :– श्री सौरभ शर्मा और श्री सौरभ गुप्ता, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण/दावाकर्ता हेतु :– श्री आकाश श्रीवतव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 6 और 7 हेतु :– श्री एस. ए. अंसारी, अधिवक्ता।

एकल पीठ.–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

22.07.2025

1.चूँकि ये दोनों अपीलें एक ही आक्षेपित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें एक साथ मिला दिया गया है, एक साथ सुना गया है और इस साझा निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

2. दावाकर्ता और बीमा कंपनी दोनों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ (संक्षिप्त रूप में "एएमएसीटी") द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध ये दोनों अपीलें दायर की हैं।दावाकर्ता अपनी अपील, अर्थात् एमएसी संख्या 1487/2022 में निर्णय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जबकि बीमा कंपनी अपनी अपील, अर्थात् एमएसी संख्या 1173/2022 में एएमएसीटी द्वारा दिए गए निर्णय की राशि में कमी की मांग कर रही है।

3. दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि **विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर दान एवं अन्य 1** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में मकान किराया भत्ता, भविष्य

निधि, वाहन ईंधन भत्ता और चिकित्सा भत्ता की राशि मृतक की मासिक आय से नहीं काटी जा सकती थी और इसलिए, दावाकर्ता की अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और इसके अलावा बीमा कंपनी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

4. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा ने यह प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.07.2022 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दावाकर्ता को दि गयी क्षतिपूर्ति अधिक है, इसलिए, दावाकर्ता की ओर से दायर अपील को खारिज किया जाना चाहिए और दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति में कटौती की जानी चाहिए।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

6. **विमल कंवर (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और इसी प्रकार कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि सभी एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला "आर्थिक लाभ" है और इसे मृतक की मासिक आय से नहीं काटा जा सकता था और कंडिका संख्या 18 और 19 में निम्नानुसार देखा गया है:---

"18. प्रथम विवाद्यक यह है कि क्या दावाकर्ता द्वारा प्राप्त भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में आते हैं, जिन्हें कटौती के लिए उत्तरदायी "आर्थिक लाभ" कहा जा सकता है।"

19. हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी मामले में उपरोक्त विवाद्यक इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और इसी प्रकार कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि, किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला "आर्थिक लाभ" है, लेकिन इन सबका केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी क़ानून के तहत प्राप्त होने वाली राशि से कोई संबंध नहीं है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में नहीं आएगी और कटौती योग्य "आर्थिक लाभ" नहीं कहलाएगी।ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में नहीं आएगी और उसे कटौती योग्य "आर्थिक लाभ" नहीं कहा जा सकता है।इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी और निष्कर्ष :----

"35. मोटे तौर पर, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की परीक्षा कर सकते हैं, जो किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान किए गए अंशदान में से एक आस्थगित भुगतान है।ऐसे कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी, दुर्घटनावश मृत्यु के बावजूद, यह राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।यह राशि सुरक्षित है, इसका प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत राशि अनिश्चित है और केवल घटना, अर्थात दुर्घटना, के घटित होने पर ही प्राप्त होती है, जो घटित ही नहीं हो सकती है।इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए अर्जित की जाती है, जो सेवा शर्तों के अनुसार सेवा में उसके योगदान के रूप में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है।उत्तराधिकारियों को आकस्मिक मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारण से भी पारिवारिक पेंशन मिलती है। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार, जीवन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीमा पॉलिसी या तो बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को बीमाकर्ता के साथ संविदा के आधार पर प्राप्त होती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में योगदान देता है।यह राशि बीमित व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है, यदि वह सभी प्रीमियम चुकाने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है। मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता अनुबंध के अनुसार, भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए, उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान करने के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यह राशि, दावाकर्ता को किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, अन्यथा प्राप्त होती है।संविदा के अनुसार, मृत्यु राशि प्राप्त करने का एक चरण या आकस्मिकता मात्र है।इसी प्रकार, कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि, किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ तो है, लेकिन इन सबका केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी क़ानून के तहत प्राप्त होने वाली राशि से कोई संबंध नहीं है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में कैसे आ सकती है कि उसे "आर्थिक लाभ" कहा जाए और उस पर कटौती की जाए।जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत की तलाश करते हैं, तो यह एक समान और एक ही स्तर पर होना चाहिए, जिसमें उनके बीच परस्पर संबंध हो, न कि ऐसा जिसमें किसी भी प्रकार का सहसंबंध न हो।बीमित व्यक्ति (मृतक) अपना स्वयं का धन योगदान करता है जिसके लिए उसे वह राशि प्राप्त होती है जिसका दुर्घटना के कारण हुई लापरवाही के लिए अपकारक के विरुद्ध गणना किए गए क्षतिपूर्ति से कोई सहसंबंध नहीं होता है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली राशि चोट या मृत्यु के कारण होती है, जिसके लिए कोई अंशदान नहीं किया गया है, तो बीमाधारक के अंशदान से प्राप्त राशि की कटौती मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि से कैसे की जा सकती है? इस अधिनियम के तहत उसे बिना किसी अंशदान के राशि प्राप्त होती है।जैसा कि हमने कहा है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय क्षतिपूर्ति वैधानिक है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाली राशि संविदात्मक है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसी प्रकार, मीनाक्षी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में, 2 सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि आश्रितता कारक पर पहुँचने के लिए पीड़ित/मृतक के मूल वेतन पर विचार करते हुए परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि ऋण, भविष्य निधि और विशेष भत्ते के अंतर्गत भत्ते जोड़े जाने चाहिए।माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"9. वर्तमान में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी [अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका संख्या 4230/2019] में 11 जुलाई, 2024 के एक निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, आश्रित कारक पर पहुंचने के लिए पीड़ित/मृतक के मूल वेतन पर विचार करते समय परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि ऋण, भविष्य निधि और विशेष भत्ते के प्रमुखों के तहत भत्ते जोड़े जाने चाहिए।

10.अतः, आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं के कारण आय में वृद्धि के घटक को लागू करते समय, मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान के घटकों

को मृतक के वेतन में शामिल किया जाना चाहिए।अपीलकर्ता को देय कुल क्षतिपूर्ति की गणना करते समय, भविष्य की संभावनाओं के कारण आय में 50% वृद्धि लागू करने से पहले, दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के वेतन में इन घटकों को शामिल करना उचित था।"

8. उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, वाहन ईंधन भत्ता और चिकित्सा भत्ते के लिए ए.एम.ए.सी.टी. द्वारा की गई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी और तदनुसार, निर्णय का उक्त भाग अपास्त किया जाता है और इसके अतिरिक्त, ए.एम.ए.सी.टी. द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि को कम करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा कोई उचित आधार नहीं उठाया गया है, तथापि, मैं निर्णय को बढ़ाना उचित समझता हूँ।इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा और विमल कंवर (सुप्रा) एवं मीनाक्षी (सुप्रा) के प्रकरण में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, यह न्यायालय निम्नलिखित अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना कर रहा है:---

सरल क्रमांक	**शीर्ष**	**न्यायाधिकरण द्वारा दि गयी क्षतिपूर्ति**	**इस न्यायालय द्वारा दि गयी क्षतिपूर्ति**
1	मासिक आय	₹ 1,28,446/- एचआरए, पीएफ, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा आयकर को छोड़कर	₹ 1,52,058/- एच. आर. ए., पी. एफ., परिवहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता सहित तथा आयकर को छोड़कर अर्थात ₹18,166/-
2	वार्षिक आय	₹ 1,28,446 x 12 = ₹ 15,41,352 -	₹ 1,52,058 x 12 = ₹ 18,24,696 -
3	भविष्य की संभावना	(+)15% अर्थात 2,31,202 ₹ = 17,72,554-₹	(+) 15% अर्थात 2,73,704 = ₹ 20,98,400 -
4	कटौती	(-) 1/4 = 4,43,138-₹	(-) 1/4 = 5,24,600-₹
5.	कटौती के पश्चात् वार्षिक आय	₹ 17,72,554 – 4,43,138 = 13,29,416/- ₹	₹ 20,98,400 – 5,24,600 = ₹ 15,73,800/-
6.	गुणक	(x) 9 = 1,19,64,744/- ₹	(x) 9 = 1,41,64,200/- ₹
7	संपत्ति का नुकसान	₹ 15,000/-	₹ 15,000/-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	8. अंतिम संस्कार का खर्च	₹ 15,000/–	₹ 15,000/–
	9. सह–व्यवस्था का नुकसान	₹ 40,000/–	₹ 40,000 □ 5 = 2,00,000–₹
	कुल	₹ 1,20,34,744/–	₹ 1,43,94,200/–

9. उपर्युक्त विश्लेषण के तहत, दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,20,34,744/– की क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर ₹1,43,94,200/– किया जाता है।अतः, ₹1,20,34,744/– की राशि घटाने के बाद, अपीलकर्ता ₹23,59,456/– की अतिरिक्त राशि के हकदार माने जाते हैं।उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर इस न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि जमा करें।अधिकरण के समक्ष दावा आवेदन दायर करने की तिथि अर्थात 24.12.2019 से इसकी वसूली तक, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। आक्षेपित अधिनिर्णय की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. तदनुसार, दावाकर्ता की अपील अर्थात् एमएसी संख्या 1487/2022 स्वीकार की जाती है और आक्षेपित निर्णय को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।बीमा कंपनी की अपील अर्थात् एमएसी संख्या 1173/2022 को कोई गुण–दोष न पाते हुए खारिज किया जाता है।जमा न्यायाधिकरण मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के आवंटन, निवेश और संवितरण के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur